बिहार सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग

कार्यालय आदेश

का0आ0सं0:–3 / अ0प्र0–1–76 / 2020 124 / पटना, दिनांक :– 6-3-25

श्री बीरेन्द्र कुमार राम, तत्कालीन निम्नवर्गीय लिपिक, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, सुपौल के विरूद्व कार्य प्रमंडल, सुपौल अंतर्गत संवेदक नारायण कन्सट्रक्शन द्वारा निविदा आई0डी0 सं0–67411 एवं बीड आई0डी0–304526 में अग्रधन के रूप में प्रयुक्त बैंक गारंटी संख्या क्रमशः 2018 / 48 का State SBD की कंडिका 16.1.d में निहित प्रावधान के अनुरूप सत्यापन एकरारनामा संपादित होने से पूर्व नहीं करने तथा जाँच में प्रयुक्त बैंक गारंटी का फर्जी पाये जाने अभिलेखों का संधारण सही तरीके से नहीं करने से संबंधित आरोप के लिए आरोप पत्र गठित कर विभागीय कार्यालय आदेश संख्या–33–सह पठित–ज्ञापांक 1106 अनु0 दिनांक 11.06.2020 द्वारा बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम 17 के तहत विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी, जिसके निमित्त मुख्य अभियंता–2, ग्रामीण कार्य विभाग को संचालन पदाधिकारी नियुक्त किया गया।

संचालन पदाधिकारी (मुख्य अभियंता–2, ग्रामीण कार्य विभाग) के पत्रांक 1868 अनु0 दिनांक 26.06.2023 द्वारा विभागीय कार्यवाही का जाँच प्रतिवेदन समर्पित किया गया, जिसमें श्री राम के विरूद्ध गठित आरोपों को आंशिक रूप से प्रमाणित होने का मंतव्य दिया गया।

संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन की विभागीय समीक्षोपरांत इससे सहमत होते हुए संचालन पदाधिकारी के जाँच प्रतिवेदन की प्रति श्री राम को भेजते हुए विभागीय पत्रांक 2405 अनु0 दिनांक 13.11.2023 द्वारा द्वितीय कारण पृच्छा समर्पित करने का निदेश दिया गया।

श्री राम द्वारा अपने पत्रांक शून्य दिनांक 09.07.2024 के माध्यम से द्वितीय बचाव बयान समर्पित किया गया। इनके द्वारा समर्पित द्वितीय बचाव बयान की विभागीय समीक्षा की गयी। समीक्षोपरांत श्री राम, तत्कालीन निम्नवर्गीय लिपिक, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, सुपौल के द्वितीय बचाव बयान स्वीकार्य योग्य नहीं पाया गया। इसी बीच श्री राम दिनांक 31.01.2025 को सेवानिवृत हो गये है। अतएव इनके विरूद्व प्रमाणित आरोपों के आलोक में इनके पेंशन से पाँच प्रतिशत की कटौती अगले दो वर्षो तक करने का निर्णय अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा लिया गया।

अतः अनुशासनिक प्राधिकार के निर्णयानुसार श्री बीरेन्द्र कुमार राम, तत्कालीन निम्नवर्गीय लिपिक, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, सुपौल सम्प्रति सेवानिवृत के विरूद्व बिहार पेंशन नियमावली के नियम–43 के सुसंगत प्रावधान के तहत निम्नांकित शास्ति अधिरोपित एवं संसूचित किया जाता है:–

(i) पेंशन से अगले दो वर्षो तक पाँच प्रतिशत की कटौती ।

6/3/25
(आदित्य प्रकाश)
अवर सचिव

—81

ज्ञापांक :— 3/अ0प्र0—1—76/2020 2689 /पटना, दिनांक :— 6.3.25

प्रतिलिपि :— अभियंता प्रमुख—सह—अपर आयुक्त—सह—विशेष सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग के आप्त सचिव/अभियंता प्रमुख, ग्रामीण कार्य विभाग के निजी सहायक/मुख्य अभियंता—4, ग्रामीण कार्य विभाग/अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य अंचल, मधेपुरा/मुंगेर/ कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, सुपौल/जमुई /प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा—8/आई0टी0 मैनेजर, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना एवं श्री बिरेन्द्र कुमार राम, तत्कालीन निम्नवर्गीय लिपिक, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, सुपौल सम्प्रति सेवानिवृत को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

6/3/25

अवर सचिव

ज्ञापांक :— 3/अ0प्र0—1—76/2020 2689 /पटना, दिनांक :— 6.3.25

प्रतिलिपि :— कोषागार पदाधिकारी, मुंगेर/मधेपुरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

6/3/25

अवर सचिव